



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 129]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 22, 2011/आषाढ़ 1, 1933

No. 129]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 22, 2011/ASADHA 1, 1933

## केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2011

**फा. सं. एल-7/145 (160)/2008-सीईआरसी.**—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों, तथा इस निमित्त सभी अन्य सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तों) विनियम, 2009 (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् “मूल विनियम” कहा गया है) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्तों) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2011 है।  
(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. **मूल विनियम के विनियम 5 का संशोधन:** मूल विनियम के विनियम 5 के खंड (3) के परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु यह कि जहां अनंतिम रूप से बिल किया गया टैरिफ, इन विनियमों के अधीन आयोग द्वारा अनुमोदित अंतिम टैरिफ से अधिक या कम है तो वहां, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी आयोग के अंतिम टैरिफ आदेश के जारी होने की तारीख से अनंतिम बिलिंग की तारीख तक की अवधि के लिए छह मास के भीतर, यथास्थिति, फायदाग्राहियों या पारेषण ग्राहकों को निम्नलिखित दरों पर साधारण ब्याज के साथ वापस करेगा या उनसे वसूलेगा:



- (i) वर्ष 2009-10 के लिए 1.4.2009 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अल्प-कालिक प्राइम लेंडिंग दर।
- (ii) वर्ष 2010-11 के लिए 1.7.2010 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आधार दर प्लस 350 बेसिस प्वाइंट।
- (iii) वर्ष 2011-12 के लिए 1.7.2010 से 31.3.2011 तक मासिक औसत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आधार दर प्लस 350 बेसिस प्वाइंट; और
- (iv) वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के लिए पूर्व वर्ष के दौरान मासिक औसत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आधार दर प्लस 350 बेसिस प्वाइंट:

परंतु यह और कि उन मामलों में जहां टैरिफ का अवधारण इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से पहले ही अवधारित किया गया हो, वहां उपरोक्त उपबंध स्वयं पक्षकारों द्वारा ब्याज दरों में परिवर्तन होने तक लागू किए जाएंगे और विसंगतता, यदि कोई हो, को ट्रयूंग अप के समय दूर किया जाएगा।

3. **मूल विनियम के विनियम 6 का संशोधन:**— मूल विनियम के 6 के खंड (4) , खंड (5) तथा खंड (6) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे:

**"6. पूंजी व्यय तथा टैरिफ का ट्रयूंग अप:—**

(4) जहां ट्रयूंग अप के पश्चात, वसूला गया टैरिफ इन विनियमों के अधीन आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ से अधिक होता है तो वहां, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी इस विनियम के परंतु में विनिर्दिष्ट दरों पर साधारण ब्याज के साथ इस प्रकार वसूली गई अधिक रकम को, यथास्थिति, फायदाग्राहियों या पारेषण ग्राहकों को वापस करेंगे।

(5) जहां ट्रयूंग अप के पश्चात, वसूला गया टैरिफ इन विनियमों के अधीन आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ से कम होता है तो वहां, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी इस विनियम के परंतु में विनिर्दिष्ट दरों पर साधारण ब्याज के साथ कम वसूली गई रकम को यथास्थिति, फायदाग्राहियों या पारेषण ग्राहकों से वसूलेंगे।

(6) इस विनियम के परंतु में विनिर्दिष्ट दरों पर साधारण ब्याज के साथ कम या अधिक वसूली गई रकम यथास्थिति उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ट्रूइंग-अप अभ्यास करने के पश्चात आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर आरंभ होने वाली छह बराबर मासिक किस्तों में, वसूला जाएगा या उन्हें वापस लिया जाएगा।



परंतु यह कि इस विनियम के खंड (4) खंड (5) तथा खंड (6) के अधीन साधारण ब्याज की संगणना करने के लिए ब्याज की निम्नलिखित दरों पर विचार किया जाएगा:

(i) वर्ष 2009-10 के लिए 1.4.2009 को भारतीय स्टेट बैंक अल्प-कालिक प्राइम लेंडिंग दर।

(ii) वर्ष 2010-11 के लिए 1.7.2010 को भारतीय स्टेट बैंक आधार दर प्लस 350 बेसिस प्वाइंट।

(iii) वर्ष 2011-12 के लिए 1.7.2010 से 31.3.2011 तक मासिक औसत भारतीय स्टेट बैंक आधार दर प्लस 350 बेसिस प्वाइंट।

(iv) वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के लिए पूर्व वर्ष के दौरान मासिक भारतीय स्टेट बैंक आधार दर प्लस 350 बेसिस प्वाइंट।

4. **मूल विनियम के विनियम 7 का संशोधन:** मूल विनियम के विनियम 7 के अंतिम परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:

"परंतु यह भी कि विद्यमान परियोजनाओं की दशा में, 1.4.2009 से पूर्व आयोग द्वारा स्वीकृत पूंजी लागत, जिसे 1.4.2009 को अनुन्योचित दायित्व को छोड़कर सम्यक् रूप से ट्र्यूड-अप किया गया हो तथा टैरिफ अवधि 2009-14 के संबंधित वर्ष के लिए उपगत किए जाने वाले प्रक्षेपित अतिरिक्त पूंजी व्यय, जैसा आयोग द्वारा स्वीकृत किया जाए, टैरिफ के अवधारण के लिए एक आधार होगा।

5. **मूल विनियम के विनियम 9 का संशोधन:** मूल विनियम के विनियम 9 के खंड (2) के उपखंड (v) के पश्चात् निम्नलिखित तीन नए उपखंड, अर्थात् खंड (vi) खंड (vii) तथा खंड (viii) जोड़े जाएंगे: अर्थात्:

"(vi) गैस/द्रव ईंधन आधारित खुला/संयुक्त साइकल थर्मल उत्पादन केन्द्र की दशा में, कोई ऐसा व्यय, जो गैस टर्बाइनों के नवीकरण पर उनके वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से प्रचालन



के 15 वर्षों के पश्चात्, आवश्यक हो गया हो तथा ऐसा व्यय, जो उत्पादन केंद्रों के सफलतापूर्वक तथा दक्ष प्रचालन के लिए पुर्जों के अप्रचलित या अप्राप्यता के कारण आवश्यक हो गया हो:

परंतु यह कि किसी ऐसे व्यय की, जिसमें खपने वाली सामग्री पर आरएंडएम तथा संघटकों और पुर्जों की ऐसी लागत सम्मिलित है, जो गैस टर्बाइन की प्रमुख मरम्मत के दौरान साधारणतः आर एंड एम खर्चों में सम्मिलित हो, अनुज्ञात किए जाने वाले आर एंड एम व्यय से सम्यक् प्रज्ञावान जांच करने के पश्चात् युक्तियुक्त रूप से कटौती की जाएगी।

(vii) ऐसा कोई पूंजी व्यय, जो अपेक्षित उपांतरणों के कारण आवश्यक हो या उत्पादन केंद्र के नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण थर्मल उत्पादन केंद्र की बाबत पूर्ण कोयला लिंकेज के न मिलने के कारण उद्भूत ईंधन प्राप्ति प्रणाली में किया गया हो तथा प्रज्ञावान जांच के पश्चात् जिसे न्यायोचित पाया गया हो।

(vii) ऐसे अस्थिगित दायित्व के व्यौरों की प्रज्ञावान जांच करने के पश्चात्, कट-ऑफ तारीख के भीतर निष्पादित किए गए कार्यों के लिए संविदात्मक आवश्यकताओं के कारण अंतिम संदाय/रोके गए संदाय के मद्दे कोई अनुमोचित दायित्व, जिसमें पैकेज की कुल अनुमानित लागत, संदाय को रोकने और ऐसे संदायों आदि को जारी करने के कारण भी सम्मिलित हैं।"

6. **मूल विनियम के विनियम 15 का संशोधन:** मूल विनियम के विनियम 15 के खंड (3) तथा (4) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, तथा उसके पश्चात्, एक नया खंड (5) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

"(3) रिटर्न आन इक्विटी की दर की संगणना, वर्ष 2008-09 के लिए यथास्थिति, संबंधित उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञापिधारी को यथा लागू आय-कर अधिनियम, 1961 के अनुसार, न्यूनतम अनुकल्पी/निगमित आय-कर दर सहित आधार दर की ग्रासिंग-अप करके की जाएगी।

(4) रिटर्न आन ईक्विटी की दर को तीन दशमलब तक गुणांकित किया जाएगा तथा उसकी संगणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जाएगी;



पूर्व कर रिटर्न ऑन ईक्विटी की दर = आधार दर  $\div (1-t)$

जहां 't' इस विनियम के खंड (3) के अनुसार लागू कर दर है ।

(5) यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग के समक्ष कोई आवेदन फाइल किए बिना प्रत्यक्षतः संबंधित वित्तीय वर्ष के आय-कर अधिनियम, 1961 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुसार लागू न्यूनतम वैकल्पी/निगमित आय-कर दर में परिवर्तन के कारण रिटर्न ऑन ईक्विटी के मद्दे वार्षिक नियत प्रभाओं में कमी को वसूल करने या अधिकता को वापस करेंगे :

परंतु यह कि टैरिफ अवधि के दौरान संबंधित वर्ष के सुसंगत वित्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को लागू कर दर की बाबत वार्षिक नियत प्रभाओं को इन विनियमों के विनियम 6 के अनुसार ट्रयूड अप किया जाएगा।"

7. मूल विनियम के विनियम 18 का संशोधन: (1) मूल विनियम के विनियम 18 के खंड (1) के उपखंड (ख) (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:

"(ii) मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक के तत्स्थानी 1/2 मास के लिए द्रव ईंधन स्टॉक, ईंधन तथा द्रव ईंधन के उत्पादन केंद्रों के प्रचालन की पद्धति पर सम्यक् रूप से विचार करके तथा एक से अधिक द्रव ईंधन के उपयोग की दशा में, मुख्य द्रव ईंधन की लागत। "

(2) मूल विनियम के विनियम 18 के खंड (1) के उपखंड (ग) के शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

"(ग) हाइड्रो उत्पादन केंद्रों, जिसमें पम्पित भंडारण हाइड्रो इलेक्ट्रिक उत्पादन केंद्र तथा पारेषण प्रणाली भी है, की दशा में "

(3) मूल विनियम के विनियम 18 के खंड (3) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

2342 GI/11-2



“(3) कार्यकरण पूंजी पर ब्याज की दर मानकीय आधार पर होगी तथा उस पर निम्नानुसार विचार किया जाएगा:—

(i) यूनिट या केंद्र, जिसकी वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख 30.6.2010 को या उससे पूर्व होती है, के लिए 1.4.2009 को या उस वर्ष के पहली अप्रैल को, जिसमें यथास्थिति, उत्पादन केंद्र या उसकी यूनिट या पारेषण प्रणाली वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित की गई हो, जो भी बाद में हो, भारतीय स्टेट बैंक अल्पकालिक प्राइम लेंडिंग दर।

(ii) 1.7.2010 को या उस वर्ष की पहली अप्रैल को, जिसमें उस यूनिट या केंद्र, जिनकी 1.7.2010 से 31.3.2014 की अवधि के बीच वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख पड़ती है, के लिए यथास्थिति, उत्पादन केंद्र या उसकी यूनिट या पारेषण प्रणाली, जो भी बाद में हो, को वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित किया जाता है, को भारतीय स्टेट बैंक आधार दर प्लस 350 बेसिस प्वाइंट:

परंतु यह कि उन मामलों में, जहां टैरिफ का अवधारण इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख के पहले ही किया गया हो, वहां उपरोक्त उपबंध ट्रयूंग-अप के समय प्रभावी होंगे।”

8. मूल विनियम के विनियम 32 का संशोधन — मूल विनियम के विनियम 32 के खंड (3) में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा:

“परंतु यह कि पारेषण प्रभारों की भागीदारी, उक्त विनियमों के प्रभावी होने की तारीख से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों तथा हानियों की भागीदारी) विनियम, 2010 द्वारा शासित होंगी।”

राजीव बंसल, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/11/असा.]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र सं. 10, असाधारण, भाग III, खंड 4 में तारीख 20 जनवरी, 2009 को अधिसूचित किए गए थे तथा मूल विनियम का पहला संशोधन भारत के राजपत्र सं. 92, असाधारण, भाग III, खंड 4 में तारीख 2 मई, 2011 को प्रकाशित किया गया था।



**CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st June, 2011

**F. No. L-7/145(160)/2008-CERC.**—In exercise of powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003); and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2009 (hereinafter referred to as “the Principal Regulations”), namely :—

1. **Short title and commencement.**— (1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) (Second Amendment) Regulations, 2011.

(2) These regulations shall come into force with effect from the date of its notification in the Official Gazette.

2. **Amendment of Regulation 5 of the Principal Regulations.**— Proviso to clause (3) of Regulation 5 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

“Provided that where the tariff provisionally billed exceeds or falls short of the final tariff approved by the Commission under these regulations, the generating company or the transmission licensee, as the case may be, shall refund to or recover from the beneficiaries or the transmission customers, as the case may be, within six months along with simple interest at the following rates for the period from the date of provisional billing to the date of issue of the final tariff order of the Commission:

- (i) SBI short-term Prime Lending Rate as on 01.04.2009 for the year 2009-10.
- (ii) SBI Base Rate as on 01.07.2010 plus 350 basis points for the year 2010-11.



(iii) Monthly average SBI Base Rate from 01.07.2010 to 31.3.2011 plus 350 basis points for the year 2011-12.

(iv) Monthly average SBI Base Rate during previous year plus 350 basis points for the year 2012-13 and 2013-14.

Provided that in cases where tariff has already been determined on the date of issue of this notification, the above provisions, to the extent of change in interest rate, shall be given effect to by the parties themselves and discrepancy, if any, shall be corrected at the time of truing up."

**3. Amendment of Regulation 6 of the Principal Regulations.-** Clauses (4),(5) and (6) of Regulation 6 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

**"6. Truing up of Capital Expenditure and Tariff.-**

(4) Where after the truing up, the tariff recovered exceeds the tariff approved by the Commission under these regulations, the generating company or the transmission licensee, as the case may be, shall refund to the beneficiaries or the transmission customers, as the case may be, the excess amount so recovered along with simple interest at the rates specified in the proviso to this regulation.

(5) Where after the truing up, the tariff recovered is less than the tariff approved by the Commission under these regulations, the generating company or the transmission licensee, as the case may be, shall recover from the beneficiaries or the transmission customers, as the case may be, the under-recovered amount along with simple interest at the rates specified in the proviso to this regulation.

(6) The amount under-recovered or over-recovered, along with simple interest at the rates specified in the proviso to this regulation, shall be recovered or refunded by the generating company or the transmission licensee, as the case may be, in six equal monthly installments starting within three months from



the date of the tariff order issued by the Commission after the truing up exercise.

Provided that the rate of interest, for clauses (4), (5) and (6) of this regulation, for calculation of simple interest shall be considered as under:

- (i) SBI short-term Prime Lending Rate as on 01.04.2009 for the year 2009-10.
- (ii) SBI Base Rate as on 01.07.2010 plus 350 basis points for the year 2010-11.
- (iii) Monthly average SBI Base Rate from 01.07.2010 to 31.3.2011 plus 350 basis points for the year 2011-12.
- (iv) Monthly average SBI Base Rate during previous year plus 350 basis points for the year 2012-13 & 2013-14."

**4. Amendment of Regulation 7 of the Principal Regulations.-** The last proviso of Regulation 7 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"Provided also that in case of the existing projects, the capital cost admitted by the Commission prior to 1.4.2009 duly trued up by excluding un-discharged liability, if any, as on 1.4.2009 and the additional capital expenditure projected to be incurred for the respective year of the tariff period 2009-14, as may be admitted by the Commission, shall form the basis for determination of tariff."

**5. Amendment of Regulation 9 of the Principal Regulations.-** Three sub-clauses namely, (vi), (vii) and (viii) shall be added after sub-clause (v) of clause (2) of Regulation 9 of the Principal Regulations as under:

"(vi) In case of gas/ liquid fuel based open/ combined cycle thermal generating stations, any expenditure which has become necessary on renovation of gas turbines after 15 year of operation from its COD and the expenditure necessary due to obsolescence or non-availability of spares for successful and efficient operation of the stations.

2342 GI/11-3



Provided that any expenditure included in the R&M on consumables and cost of components and spares which is generally covered in the O&M expenses during the major overhaul of gas turbine shall be suitably deducted after due prudence from the R&M expenditure to be allowed.

(vii) Any capital expenditure found justified after prudence check necessitated on account of modifications required or done in fuel receipt system arising due to non-materialisation of full coal linkage in respect of thermal generating station as result of circumstances not within the control of the generating station.

(viii) Any undischarged liability towards final payment/withheld payment due to contractual exigencies for works executed within the cut-off date, after prudence check of the details of such deferred liability, total estimated cost of package, reason for such withholding of payment and release of such payments etc."

**6. Amendment of Regulation 15 of the Principal Regulations.-** Clauses (3) and (4) of Regulation 15 of the Principal Regulations shall be substituted and a new Clause (5) shall be inserted as under, namely:

"(3) The rate of return on equity shall be computed by grossing up the base rate with the Minimum Alternate/Corporate Income Tax Rate for the year 2008-09, as per the Income Tax Act, 1961, as applicable to the concerned generating company or the transmission licensee, as the case may be.

(4) Rate of return on equity shall be rounded off to three decimal points and be computed as per the formula given below:

Rate of pre-tax return on equity = Base rate / (1-t)

Where "t" is the applicable tax rate in accordance with clause (3) of this regulation.

(5) The generating company or the transmission licensee, as the case may be, shall recover the shortfall or refund the excess Annual Fixed Charge on



account of Return on Equity due to change in applicable Minimum Alternate/Corporate Income Tax Rate as per the Income Tax Act, 1961 (as amended from time to time) of the respective financial year directly without making any application before the Commission:

Provided further that Annual Fixed Charge with respect to the tax rate applicable to the generating company or the transmission licensee, as the case may be, in line with the provisions of the relevant Finance Acts of the respective year during the tariff period shall be trued up in accordance with Regulation 6 of these regulations."

**7. Amendment of Regulation 18 of the Principal Regulations.-**

(1) Sub-clause (b) (ii) of clause (1) of Regulation 18 of the Principal Regulations shall be substituted as under, namely:

"(ii) Liquid fuel stock for  $\frac{1}{2}$  month corresponding to the normative annual plant availability factor, duly taking in to account mode of operation of the generating stations of gas fuel and liquid fuel and in case of use of more than one liquid fuel, cost of main liquid fuel."

(2) Heading of Sub-clause (c) of Clause 1 of Regulation 18 of the Principal Regulations shall be substituted as under, namely:

"(c) In case of Hydro generating stations including pumped storage hydro-electric generating station and transmission system."

(3) Clause (3) of Regulation 18 of the Principal Regulations shall be substituted as under, namely:

"(3) Rate of interest on working capital shall be on normative basis and shall be considered as follows:

(i) SBI short-term Prime Lending Rate as on 01.04.2009 or on 1st April of the year in which the generating station or a unit thereof or the transmission system, as the case may be, is declared under commercial operation, whichever is later, for the unit or station whose date of commercial operation falls on or before 30.6.2010.



(ii) SBI Base Rate plus 350 basis points as on 1.7.2010 or as on 1st April of the year in which the generating station or a unit thereof or the transmission system, as the case may be, is declared under commercial operation, whichever is later, for the units or station whose date of commercial operation lies between the period 1.7.2010 to 31.3.2014:

Provided that in cases where tariff has already been determined on the date of issue of this notification, the above provisions shall be given effect to at the time of truing up."

**8. Amendments to the Regulation 32 of the Principal Regulations.-** A proviso shall be added to clause (3) of Regulation 32 of the Principal Regulations, namely:

"Provided that the sharing of transmission charges shall be governed by the Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of inter-state transmission charges and losses) Regulations, 2010 from the date of coming into effect of the said regulations."

RAJIV BANSAL, Secy.

[ADVT. III/4/150/11/Exty.]

**Note :** The Principal Regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 on 20th January, 2009 as No. 10 and the first amendment to the Principal Regulations was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 on 2nd May, 2011 as No. 92.